राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1912/2008

सुरेन्द्र कुमार मिश्रा —अपीलार्थी

बनाम

1. आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, करौली।
3. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, सपोटरा, जिला करौली।
4. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.08.2023

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक के पद पर दिनांक 01.08.1995 को राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय, भांकरी, पंचायत समिति, सपोटरा, जिला करौली में हुई थी। बाद में अपीलार्थी का चयन कनिष्ठ लेखाकार के पद पर आरपीएससी द्वारा किया गया। जिसके पश्चात अपीलार्थी को दिनांक 17.03.1999 को कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि उनके द्वारा जो पूर्व में दिनांक 01.08.1995 से दिनांक 21.03.1999 तक की सेवाएं जो अध्यापक के रूप में दी गयी थी, उस समय अपीलार्थी के जीपीएफ एवं स्टेट इंस्योरेंस के मद में की गई कटोतियां सम्बन्धित जीपीएफ व स्टेट इंस्योरेंस विभाग के खातों से नहीं की गई।
2. अपीलार्थी की उपरोक्त प्रार्थना को देखते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते है कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी को वेतन में से काटी गई जीपीएफ एवं स्टेट इंस्योरेंस की राशि के सम्बन्ध में जांच करे एवं काटी गई राशि को नियमानुसार सम्बन्धित विभाग में जमा कराये।
3. उपरोक्त कार्यवाही के लिये तीन माह का समय प्रदान किया जाता है। इस आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)